भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3336
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

एनईपी, 2024 के कार्यान्वयन की स्थिति

†3336. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2024 के कार्यान्वयन की उपलब्धियां क्या हैं तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और किन-किन क्षेत्रों में प्रगति में विलंब हुआ है;
(ख) 5+3+3+4 शिक्षा ढांचे को एकीकृत करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और
(ग) सरकार द्वारा नीतिगत सुधारों की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या उनके प्रभाव के संबंध में हाल की कोई आकलन रिपोर्ट है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020**)** की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा को एनईपी की सिफारिश के साथ अनुकूलित करने**,** ग्रेड 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्याज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)**;** तीन महीने के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश**;** शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या**;** ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा)**;** बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाई गई खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए जादुई पिटारा**;** स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) - माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा को सहायता करना। परख

(समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) - प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि।

एनईपी 2020 की सभी पहलों को संचालित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करने वाले अनुकरणीय विद्यालयों में 14500 से अधिक चुनिंदा विद्यालयों का निर्माण करने के उद्येश्य से पीएम श्री योजना शुरू की गई है।

(ख): एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 ढांचे में संशोधन की परिकल्पना की गई है, जिसमें 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन की बात कही गई है। तदनुसार, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना एवं पाठ्यचर्या रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित होगी , जिसमें फाउंडेशनल स्टेज (आंगनवाड़ी /प्रीस्कूल के 3 वर्ष + प्राथमिक विद्यालय में 1-2 ग्रेड में 2 वर्ष; दोनों एक साथ 3-8 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), प्रारंभिक चरण (ग्रेड 3-5, 8-11 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), मध्य चरण (ग्रेड 6-8, 11-14 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), और माध्यमिक चरण (दो चरणों में ग्रेड 9-12, अर्थात पहले चरण में 9 और 10 और दूसरे चरण में 11 और 12 , 14-18 वर्ष की आयु को कवर करते हैं)।

इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा फाउंडेशनल स्टेज (एनसीएफ-एफएस) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) शुरू की गई है। ये भारत में 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहली एकीकृत पाठ्यचर्या की रूपरेखा है और यह 5+3+3+4 'पाठ्यचर्या और शैक्षणिक' संरचना का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर कक्षा 1, 2, 3 और 6 के लिए पाठ्यपुस्तकें भी तैयार की गई हैं।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ग): एनईपी के कार्यान्वयन के लिए नवीन विचारों पर चर्चा और जागरूकता पैदा करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर जून 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 और दिसंबर 2023 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024 में चर्चा की गई; 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की गई। एनईपी 2020 पर हितधारकों से सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया के साथ व्यापक प्रचार किया गया है।

एनईपी, 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली का भी उल्लेख है। इसमें वर्ष 2030-40 के दशक में पूरी नीति के संचालन की भी परिकल्पना की गई है, जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयनकर्ता निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहल की हैं। एनईपी की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।

*****